नियमावली / Rules of Association

1.	संस्था का नाम	:	केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड सोसाइटी Central Board of Open Schooling and Examination Society
2.	संस्था का पता	:	सी– 91 जे जे क्लस्टर, पीरागढ़ी, नई दिल्ली।
3.	संस्था का प्रशासनिक कार्यालय	:	प्राइम प्लाजा इन्दिरा नगर निकट मुंशी की पुलिया लखनऊ।
4.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त भारतवर्ष
5.	संपर्क संख्या	:	91–9557361231

6. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्गः–

अ) सदस्यता का प्रकार

1. आजीवन सदस्य 21000/
2. सामान्य सदस्य 11000/

ब) सदस्य बनाने की प्रक्रिया

1. जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।
2. जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं। तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क रुपए नियमानुसार निःस्वार्थ भाव से देते हैं। वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

7. सदस्य अथवा पदाधिकारी का चयन एवम् सदस्यता समाप्ति प्रकियाः–

संस्था के संस्थापक/व्यवस्थापक को संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधारण सदस्य अथवा पदाधिकारी को मनोनीत करने का व उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले सदस्य अथवा पदाधिकारी व सदस्यों को निष्काषित करने का अधिकार हांसिल रहेगा तथा संस्था के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं व संस्थाओं के संचालन हेतु प्रत्येक संस्थान की प्रबन्धक कमेटी का साधारण सदस्यों की सूची बनाकर उसमें प्रबन्धक कमेटी अलग से बनाने का अधिकार हासिल रहेगा। प्रबन्धक कमेटी में 11 व अधिकतम 21 सदस्य नामित किये जा सकेंगें।

सदस्यता समाप्ति के कुछ मुख्य कारणः–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतिक अपराधों में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।

8. रिक्त पदों की पूर्ति

संस्थापक को संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों के पद रिक्त होने की स्थिति में नये सदस्यों, पदाधिकारियों के मनोनयन का अधिकार होगा और संस्थापक का पद रिक्त होने पर संस्थापक के उत्तराधिकारी स्वतः ही रिक्त पद पर आसीन हो जायेंगें।

9. बैठक गणपूर्ति

सभी बैठकों में दो तिहाई यानि के तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

9. संस्था का कोष

संस्था का खाता किसी–भी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक, सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा किसी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन संचालित संस्थान में खोला जा सकेगा। खाते का संचालन दो सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/ महासचिव/सदस्य के द्वारा किया जायेगा। संयुक्त खाते में से नाम परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष एवं महासचिव को संयुक्त रूप से होगा को होगा। संस्था का अपना निजी खाता होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अथवा मुख्य संस्था के एक हस्ताक्षर से भी खाता संचालित हो सकेगा।

10. विवादित स्थिति में निर्णय

संस्था में किसी–भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित किये जाने पर संस्थापक को संस्था के दस्तावेजों के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होंगें और वे संस्था के संचालन के लिये स्वयं उत्तरदायी होंगें। संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के नियन्त्रण हेतु सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगें।

11. सदस्य एवं पदाधिकारियों के पद दायित्व एवम् कर्तव्य

अध्यक्ष–

संस्था के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह सचिव के सहयोग से संस्था की होने वाली किसी–भी बैठक की अध्यता करें। बैठक का संचालन करायें प्राप्त सुझावों पर विचार/अनुमोदन पास करायें तथा सोसाइटी के कोष/फण्ड के भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन संचालित होने वाले किसी–भी बैंक में सचिव/कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से संचालित करायें।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त दायित्वों एवम् कर्तव्यों का अनुपालन करना।

सचिव–

संस्था की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना संस्था के दैनिक कार्य कलाप को सुचारू रूप से संचालित करना सभी बैठकों को समयानुसार बुलाना तथा सभी बैकों की कार्यवाही का पूर्णरूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखना, अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टीयों को भेजना। संस्था की समस्त आय–व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। संस्था की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रखा, उनकी सुरक्षा करना। संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कर्मचारी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरूद्ध ना हो।

उपसचिव–

सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य करना।

कोषाध्यक्ष–

संस्था की समस्त आय–व्यय का हिसाब रखना व उसका ऑडिट कराना, संस्था के समस्त व्यय जोकि सचिव द्वारा सत्यापित हों, उनका अनुमोदित कर भुगतान कराना, संस्था के खातों का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष व सचिव के द्वारा कराना।

साधारण सभा

संस्था के संस्थापक के अलावा उसके द्वारा मनोनीत संस्था के पदाधिकारी व सदस्य साधारण सभा के सदस्य होंगें, इनका कार्यकाल संस्थापक की सहमति पर निर्भर रहेगा। साधारण सदस्य से संस्थापक को निर्धारित वार्षिक शुल्क लेकर सदस्यता प्रदान करने का अधिकार हांसिल होगा। साधारण सदस्य का कार्यकाल वार्षिक होगा, जिसकी अवधि को घटाने या बढ़ाने का अधिकार संस्थापक को होगा।

संस्था के नियम व उपनियमों में संशोधन

संस्था के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था के संस्थापक व उसके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी व सदस्यों को सर्वसम्मति से निर्णय लेकर संशोधन करने की अनुमति हांसिल होगी।

12. संस्था के अंगः– (क) साधारण सभा (ख) प्रबंधकारिणी समिति

(क) साधारण सभा

अ. गठन–सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

आ. बैठक–साधारण बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

इ. सूचना अवधि–साधारण बैठक हेतु 21 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। सूचना ई–मेल या पोस्ट से दी जा सकती है।

ई. गणपूर्ति–बैठक हेतु 1/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

उ. विशेष/वार्षिक अधिवेशन की विधि/विशेष/वार्षिक अधिवेशन की विधि साधारण सभा की बैठक में 2/3 बहुमत से तय की जाएगी।

ऊ. साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार–साधारण सभा द्वारा प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव किया जाएगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय–व्यय का अनुमोदन करना।

(ख) प्रबंधकारिणी समिति

अ. **गठन**–साधारण सभा द्वारा प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव किया जाएगा। इसमें प्रमुख संरक्षक, संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे।

आ. **बैठक**–प्रबंधकारिणी समिति वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

इ. **सूचना अवधि**–साधारण बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। सूचना ईदृमेल या पोस्ट से दी जा सकती है।

ई. **गणपूर्ति**–बैठक हेतु 3 पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

उ. **अधिकार**–प्रबंधकारिणी समिति संस्था के दैनिक कार्यों के लिए साधारण सभा द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी।

ऊ. **संस्था की निधि**–संस्था की निधि का उपयोग केवल संस्था के संविधान के अंतर्गत ही उस संस्था के निर्माण हेतु किया जाएगा। संस्था के कार्यों हेतु आय–व्यय का पूर्ण विवरण सचिव द्वारा वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा तथा अनुशासन एवं ऑडिट के लिए आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखे जाएँगे।

ऋ. रिक्त स्थानों की पूर्ति–पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिए सामान्य सभा के सदस्यों में से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।

ऌ. केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के गठन के उद्देश्य से ही इस सोसाइटी का निर्माण किया गया है। अतः केन्द्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के संचालन के लिए जो आवश्यक व जरूरी हो, उस पर ध्यान रखते हुए, प्राथमिकता के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति व पदमुक्ति आदि का निर्णय प्रबंधकारिणी ले सकेगी।

13. "संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा–6 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के सचिव का होगा।"

14. संस्था के अभिलेख

- सदस्यता रजिस्टर
- कार्यवाही रजिस्टर
- स्टॉक रजिस्टर
- लेजर बुक
- कैशबुक
- सदस्यता शुल्क अथवा रसीद बुक
- दान रसीद बुक
- एजेंडा रजिस्टर आदि

15. संस्था के विघटन और विघटीत संपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व धारा 14 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी।

Shubhangi Vimal